प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **45/2026** (अपील सूचना का अधिकार)
प्रताप सिंह राठौड़ पिता स्व. स्वरूप सिंह राठौड़ निवासीः 94, हनुमान कॉलोनी, नजदीक ओल्ड चुंगी नाका, फतेहपुरा, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

दिनांकः 24/03/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/45/26/287–88 दिनांक 10.02.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांकः स. लो.सू.अ./2025/1027 दिनांक 27.02.2026 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा भूमि रूपांतरण के संबंध में प्रार्थना पत्र श्रीमान लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर से अंतरित होकर दिनांक 24.12.2025 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रार्थना पत्र में भूमि रूपांतरण पत्रावली संख्या एवं आदेश दिनांक अंकित नहीं होने से कार्यालय के पत्रांक 3893 दिनांक 26.12.2025 से उक्त प्रार्थना पत्र में पूर्ण विवरण अंकित करने हेतु प्रार्थी को सूचित किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में विवरण अंकित करने के पश्चात् रेकर्ड की तलाश की गई। कार्यालय रेकर्ड अनुसार डिस्पेच रजिस्टर नंबर 4267 दिनांक 21.08.2009 से मूल पत्रावली श्रीमान निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित की गई थी। प्रार्थी को चाही गई सूचना के संबंध में कार्यालय के पत्रांक 491 दिनांक 09.02.2026 से अवगत करा दिया गया। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी गिर्वा द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 491 दिनांक 09.02.2026 से वांछित सूचना के संबंध में अवगत करवा दिया गया है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा न्यायालय में प्रेषित प्रत्युत्तर के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24-03-26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर